


राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषय:—आगामी विधानसभा आम चुनाव-2018 में आदर्श आचार संहिता लागू होने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ.3(1)(9)प्रथम/निर्वा/2018/6834 दिनांक 05.10.2018 की छाया प्रति मय संलग्नकों (आदर्श आचार संहिता की पुस्तिका एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 464/INST/2007-PLN-I दिनांक 07.01.2017) के संलग्न कर लेख है कि कृपया विधानसभा आम चुनाव-2018 में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करने का कष्ट करें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।



(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

मा0 कैबिनेट मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव,
राजस्थान सरकार।

क्रमांक प.11(1)मं.म./2017,
जयपुर, दिनांक: 8/10/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु प्रेषित है:-

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष, शासन सचिवालय।
- 2- प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
- 3- महानिदेशक, राज. पुलिस, जयपुर।
- 4- सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- 5- सचिव, राजभवन, जयपुर।
- 6- सचिव, राज. लोक सेवा आयोग।
- 7- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
- 8- समस्त संभागीय आयुक्त।
- 9- समस्त जिला कलक्टर।
- 10- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ.3(1)(9)प्रथम/निर्वा/2018/6834 दिनांक 05.10.2018 के क्रम में।


प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार
राजस्थान सरकार
3940

8/10/18


विषय:- आगामी विधानसभा आम चुनाव, 2018 - आदर्श आचार संहिता के लागू होने के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में विधानसभा आम चुनाव, 2018 निकट भविष्य में होने हैं। आगामी विधानसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की सूचना आपको विभाग द्वारा दे दी जायेगी तथा समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसकी जानकारी हो जायेगी।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचार संहिता की पुस्तिका एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 464/INST/2007-PLN-I दिनांक 07.01.2007, जिसमें आदर्श आचार संहिता के दौरान आयोग द्वारा DO's & DONT's के संबंध में निर्देश दिये गये हैं, की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें एवं राज्य के माननीय कैबिनेट मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिवों को भी आयोग के निर्देशों की पालना हेतु प्रतियां उपलब्ध करा देवे।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(आनन्द कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रमुख शासन सचिव,
मंत्रिमण्डल, शासन सचिवालय,
जयपुर।

अ.शा.टीप संख्या एफ 3.(1)(9)प्रथम/निर्वा/2018/6834
जयपुर, दिनांक 05-10-2018

प्रतिलिपि:-समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को प्रेषित कर निवेदन है कि आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

